संजू [illegible] बनाम मोहनी देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

[illegible] मु.नं. - D/2024

19.5.25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दि. 22.5.25 को पेश हो।

22.05.20[illegible] पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली दिनांक 30.05.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

30.05.2025 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली दिनांक 20.06.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

20.06.2025 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश [illegible] 30.01.2024 को खारिज किया जाकर प्रभावही[illegible] किया जाता है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल [illegible]वली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वादपत्र के हमफिता हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:11 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
12 / 2024	2024 / 0029	30.01.2024	20.06.2025

उनवान प्रकरण

1–सन्जू सागोता दत्तक पुत्री भगताराम आयु 30 साल जाति जाट निवासी ढ़ाणी गंगाबक्षवाली तन ग्राम कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना (राज0)

––प्रार्थीया

बनाम

1–मोहनी देवी पत्नी स्व. भगताराम जाति जाट आयु 90 साल जाति जाट निवासी ढ़ाणी गंगाबक्षवाली तन ग्राम कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना (राज0)

2–उप पंजियक तहसील श्रीमाधोपुर।

3–पटवारी हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर।

4–भूमिधारी तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर।

––अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

श्री राजेन्द्र कुमार जाखड़, एड0 प्रार्थीया अभिभाषक।

श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम, एड0 अप्रार्थी संख्या 1 अभिभाषक,

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि तन ग्राम ढाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणपुरा भू-अभिलेख निरीक्षक जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1444, 1445, 1451 कुल किता-3 कुल रकबा 1.6100 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1440/1895, 1441, 1442, 1451/1899, 1456, 1457/1896, 1465 कुल किता-7 कुल रकबा 4.3200 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1446, 1447, 1448, 1450 कुल किता-4 कुल रकबा 0.7400 हैक्टर में हिस्सा 1/5 एव खसरा नम्बर 1409, 1414, 1426, 1434, 1439, 1440, 1458, 1461 कुल किता-8 कुल रकबा 8.1500 हैक्टर एव खसरा नम्बर 1568 रकबा 1.7100 हैक्टर में हिस्सा 3/31 की खातेदारी वर्तमान भू-अभिलेख जमाबंदी में प्रार्थीया की दत्तक माता अप्रार्थीया सख्या-1 के नाम दर्ज है। जो प्रार्थीया की पैत्रिक कृषि भूमिया है। प्रार्थीया को बाल्यावस्था में ही शुभ दिन व शुभ मुर्हत रामनवमी को परिवार के समस्त सदस्यों की मौजूदगी में अप्रार्थीया संख्या-1 व उसके पति स्वर्गीय भगताराम पुत्र रामूराम ने गोद की रस्म करके एवं मांगलिक गीत गाये जाकर एवं मिठाईयॉं वितरित की जाकर एवं दत्तक होम संस्कार करवाकर प्रार्थीया जब चार वर्ष की थी गोद ले लिया था एवं प्रार्थीया के प्राकृतिक पिता झाबरमल व माता फूली देवी ने सहर्ष अपनी जाईन्दा पुत्री को अप्रार्थीया संख्या-1 व उसके पति भगताराम की गोद में बैठाकर सौंप दिया था एव प्रार्थीया की चार वर्ष की उम्र से ही उसका लालन पोषण, शिक्षा आदि अप्रार्थीया संख्या-1 व उसके पति भगताराम ने अपनी जाईन्दा पुत्री के समान किया गया एव इसके उपरान्त प्रार्थीया के दत्तक पिता भगताराम पुत्र रामूराम का स्वर्गवारा दिनांक 18-07-2015 को हो गया तो अप्रार्थीया संख्या-1 ने प्रार्थीया को गोद लिये जाने बाबत रजिस्टर्ड गोदनामा लेख दिनांक 23-12-2015 को उप पंजियक कार्यालय श्रीमाधोपुर में तस्दीक व पंजीबद्व करवा दिया था एवं अप्रार्थीया संख्या-1 प्रार्थीया की दत्तक माता है एवं कृषि भूमियां वर्णित मद संख्या-1 वाद पत्र पर प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या-1 मौके पर काबिज काश्त चली आ रही है एवं उक्त भूमियों की खातेदारी पूर्व में प्रार्थीया के दत्तक पिता भगताराम पुत्र रामूराम के नाम दर्ज थी जो प्रार्थीया के दत्तक पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

भगताराम पुत्र रामूराम का स्वर्गवास दिनाक 18–05–2015 को हो जाने के उपरान्त विरासत के आधार पर अप्रार्थीया संख्या–1 व परिवार के षडयन्त्रकारियों ने भूमि को नाजायज तरीके से हड़प करने व प्रार्थीया को उसके पैत्रिक हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि से नाजायज तरीके से बेदखल करने एव महरूम करने के बेईमानीपूर्वक आशय प्रार्थीया के साथ छल व धोखाधडी करते हुये अकेली अप्रार्थीया संख्या–1 के नाम खातेदारी बाला–बाला कतई गलत रूप से प्रार्थीया स्वर्गीय भगताराम पुत्र रामूराम की दत्तक पुत्री होने के बावजूद उसको छुपाते हुये सरपंच व पटवारी हल्का से साज व षडयन्त्र रचकर दर्ज करवायी गयी है जबकि उक्त भूमियां पैत्रिक है एवं उक्त भूमियों में प्रार्थीया का कानूनन 1/2 हिस्सा पैत्रिक हिस्सा है एवं प्रार्थीया अपने उक्त पैत्रिक हक हिस्सा की भूमियों पर मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चली आ रही है। इसलिए प्रार्थीया अपनी उक्त पैत्रिक हिस्सा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है एवं अप्रार्थीया संख्या–1 को उक्त पैत्रिक कृषि भूमियों को गलत रूप से दर्ज करवायी गयी खातेदारी की आड़ में दिगर को विक्रय रहन अन्तरण करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नही है। इसलिए प्रार्थीया अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी है। अप्रार्थीया संख्या–1 काफी वृद्व महिला है जिसको षड़यन्त्रकारी परिवारजन बहकाकर प्रार्थीया की पैत्रिक कृषि भूमियों को दिगर को विक्रय रहन अन्तरण करने पर उतारू है एवं अप्रार्थीया संख्या–1 को बहकाकर अपने प्रभाव में कर रखा है एवं अप्रार्थीया संख्या–1 व षड़यन्त्रकारी परिवारजन ने प्रार्थीया को दिनांक 25–01–2024 को धमकी दी कि वादग्रस्त पैत्रिक कृषि भूमियों को दिगर भू–माफिया गिरोह के लोगो एवं लठैतो को बेचान रहन अन्तरण करके दिगर का बलात कब्जा करवाकर रहेगे एवं प्रार्थीया को उसकी पैत्रिक कृषि भूमियों से बेदखल करवाकर रहेगे। इस कारण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायोचित होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तन ग्राम ढाणी डेरावाली पटवार हल्का कल्याणीया भू–अभिलेख निरीक्षक जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) मे अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1444, 1445, 1451

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कुल किता-3 कुल रकबा 1.6100 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1440/1895, 1441, 1442, 1451/1899, 1456, 1457/1896, 1465 कुल किता-7 कुल रकबा 4.3200 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1446, 1447, 1448, 1450 कुल किता-4 कुल रकबा 0.7400 हैक्टर में हिस्सा 1/5 एव खसरा नम्बर 1409, 1414, 1426, 1434, 1439, 1440, 1458, 1461 कुल किता-8 कुल रकबा 8.1500 हैक्टर एव खसरा नम्बर 1568 रकबा 1.7100 हैक्टर को दिगर को किसी प्रकार से विक्रय रहन अन्तरण नही करने, ना ही प्रार्थीया को उसके पैत्रृक हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमियों से बेदखल करे, ना ही दीगर से करावे तथा अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 को भी पाबन्द फरमाया जावें कि वादग्रस्त पैत्रृक कृषि भूमियो का दिगर के हक मे किसी प्रकार का विकय, रहन अन्तरण लेख तस्दीक करें, ना ही राजस्व रिकार्ड परिवर्तन करे बल्कि मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधित फरमाये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में किया है।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीया नं. 1 की ओर से श्री मुकेश ढेणवाल एड0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम एड0 उपस्थित आये। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 की नोटिस तामील रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीया संख्या 1 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर दिये जाने तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वकील प्रार्थीया ने बहस सुने जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में बहस वकलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमियां जो खातेदारी प्रार्थीया की दत्तक माता अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम दर्ज होकर पैत्रृक कृषि भूमियॉ है। अप्रार्थीया संख्या 1 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उसके पति स्व0 ममताराम पुत्र रामूराम ने गोद की रस्म करके गोद लिये जाने से प्रार्थीया के प्राकृतिक पिता झाबरमल व माता फूली देवी ने अपनी जायन्दा पुत्री को चार वर्ष की उम्र में गोद दे दिये जाने से अप्रार्थीया संख्या 1 व उसके पति ममताराम ने अपनी जाईन्दा पुत्री के समान लालन पालन शिक्षा आदि किया गया था। इसके उपरान्त प्रार्थीया के दत्तक पिता ममताराम पुत्र रामूराम का दिनांक 18.05.2015 को स्वर्गवास हो जाने से अप्रार्थीया सं. 1 ने प्रार्थीया को गोद लिये जाने बाबत रजिस्टर्ड गोदनामा लेख दिनांक 23.12.2015 को उप पंजीयक कार्यालय श्रीमाधोपुर में तस्दीक व पंजीबद्ध करवा दिया था जिससे अप्रार्थीया सं. 1 प्रार्थीया की दत्तक माता है। प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 मौके पर काबिज काश्त चली आ रही है एवं उक्त भूमियों की खातेदारी पूर्व में प्रार्थीया के दत्तक पिता ममताराम पुत्र रामूराम के नाम दर्ज थी। प्रार्थीया के दत्तक पिता का देहान्त हो जाने पर विरासत के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थीया के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड होनी चाहिए थी परन्तु अप्रार्थीया सं. 1 ने सरपंच व पटवारी हल्का से साजकर खातेदारी अकेले अपने नाम दर्ज करवाई गई है। प्रार्थीया का उक्त भूमियों में कानूनन 1/2 हिस्सा पैत्रक हिस्सा है एंव प्रार्थीया अपने उक्त पैत्रक हक हिस्सा की भूमियों पर पूर्णतः काबिज काश्त चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त पैत्रक कृषि भूमियों को गलत रूप से दर्ज करवाई गई खातेदारी की आड़ में दिगर को विक्रय रहन अन्तरण करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं होने से प्रार्थीया अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी है। जिसके आधार पर प्रार्थीया वकील ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में न्यायालय द्वारा जारी अंतरीम स्थगन आदेश दिनांक 30.01.2024 को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक कंर्फम किए जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये। जो निम्नानुसार है:-

1. आर. आर. डी. 1993 पेज नम्बर 206
2. आर. आर. डी. 2001 पेज नम्बर 366
3. आर. आर. डी. 2005 पेज नम्बर ...
4. आर. आर. डी. 2009 पेज नम्बर 17
5. आर. आर. डी. 2016 पेज नम्बर 747

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

6. डी एन. जे. राज0 2008 (1) पेज नम्बर 226

7. डी एन. जे. राज0 2010 (1) पेज नम्बर 96

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीया सं. 1 ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा मे वर्णित वादग्रस्त भूमियो की खातेदारी वर्तमान मे जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीया का उक्त भूमियों से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध या सरोकार किसी किस्म का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं है, ना ही कभी रहा है, ना ही प्रार्थीया का कोई कब्जा काश्त कभी रहा है। प्रार्थीया व इनके षडयन्त्रकारीयों कमशः झाबरमल यादव पुत्र सुगनाराम अहीर निवासी खन्नीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर हाल नीमकाथाना व गिरधारी पुत्र नारूराम जाट निवासी जयरामपुरा तहसील खण्डेला ने आपस में साजकर अप्रार्थीया की सम्पदा जमीन जायदाद को हड़प करने के बेईमानीपूर्वक आशय से प्रार्थीया को लोन ऋण दिलाने के बहाने तहसील श्रीमाधोपुर में ले जाकर दिनांक 23.12.2015 को अप्रार्थीया के साथ छल व धोखाधड़ी करके कूटरचित दस्तावेज गोदनामा लेख तैयार करवाकर प्रार्थीया संजू सामोता को गोद लिये जाने बाबत उप पंजीयक श्रीमाधोपुर में तस्दीक व पंजीबद्ध करवा लिया जबकि अप्रार्थीया व उसके पति भगताराम ने प्रार्थीया संजू सामोता को कभी भी हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार गोद नहीं लिया, ना ही कभी कोई गोद लेने व गोद देने की रस्म हुई है ना ही संजू सामोता अप्रार्थीया व उसके पति भगताराम के पास कभी रही हैं वल्कि प्रार्थीया संजू सामोता, झाबरमल व फूली देवी की पुत्री संतान है जो शादीशुदा होकर स्थायी रूप से अपने ससुराल रह रही है। प्रार्थीया संजू सामोता एक चालाक किस्म की महिला है तथाकथित कूटरचित गोदनामा लेख का स्टाम्प कमांक 573 दिनांक 18.12.2015 को स्टाम्प विक्रेता मदनलाल लाईसेंस नम्बर 22/22 तहसील परिसर श्रीमाधोपुर से हस्ते सुरेश कुमार लाम्बा वकील द्वारा खरीद किया हुआ है। जिस पर पहले से एक सुनियोजित षड़यंत्र के तहत झाबरमल व फुली देवी व संजू सामोता एंव इनके षड़यंत्रकारियों ने आपस में साज रचकर कूटरचित गोदनामा लेख तैयार कर रखा था। उक्त तथाकथित गोदनामा लेख पर किसी स्वतंत्र गवाह के कोई हस्ताक्षर नहीं है। अप्रार्थीया सं. 1 द्वारा उक्त गोदनामा लेख दिनांकित 23.12.2015 को निरस्त किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जाने हेतु सिविल न्यायाधीश श्रीमाधोपुर द्वारा उनवानी मोहनी देवी बनाम ज्ञानचन्द वगै0 विचाराधीन है व प्रार्थीया व इनके षड्यंत्रकारियों के आपराधिक कृत्य बाबत मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 143/2024 आई.पी.सी. के तहत पुलिस थाना श्रीमाधोपुर में अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत दर्ज होने पर बाद अनुसंधान थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीमाधोपुर द्वारा नतीजा एफ. आर. नम्बर 106/2024 दिनांक 30.06.2024 को न्यायालय मे स्वीकृति हेतु भिजवाया जाना प्रकट होता है। प्रार्थीया व इनके षडयन्त्रकारियों ने तथाकथित गोदनामा लेख जो कूटरचित तैयार करवाकर प्रतिवादिया को लोन/ ऋण दिलाने के बहाने छल व धोखाधडी करवाया गया था। उक्त तथाकथित कूटरचित गोदनामा लेख की आड में उक्त दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी संजू सानोता बनाम मोहनी देवी वगै0 दिनांक 30.01.2024 को प्रस्तुत करने एव तथाकथित कूटरचित गोदनामा लेख की प्रमाणित प्रतिलिपि उप पंजीयक कार्यालय श्रीमाधोपुर से दिनांक 12.03.2024 को निकलवाने पर हुई है। इसलिए प्रार्थीया न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है एंव प्रार्थीया का वाद व प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही नाकाबिले खारिज होने योग्य है। प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टवा मामला नही है, ना ही प्रार्थीया के पक्ष में सुविधा का संतुलन है, ना ही किसी प्रकार की क्षति होने की संभावना है बल्कि प्रथम दृष्टवा मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीया के पक्ष में पूर्णतया साबित होने से किसी भी प्रकार से पोषणीय नही होने के कारण खारिज फरमाये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थीया ने अपनी बहस में किया है। दौराने बहस वकील अप्रार्थीया सं. 1 ने फर्द दस्तावेजात् के संलग्न किता–9 दस्तावेजात् पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली किये गये।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 पॉच जमाबन्दियॉ, गोदनामा लेख दिनांक 23.12.2015 का अवलोकन किया गया। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दर्ज [illegible] भूमियों की खातेदारी मुताबिक जमाबंदीयाँ अप्रार्थीया संख्या 1 [illegible] जमाबन्दी हिस्सानुसार वर्तमान में दर्ज [illegible] रिकार्ड है। जो अप्रार्थीया संख्या 1 को जरिये विरासतन उसके पति भगताराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पुत्र रामूराम जाति जाट के फौत होने पर विरासत से प्राप्त होना प्रकट होता है। प्रार्थीया संजू सामोता को अप्रार्थीया संख्या 1 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा लेख दिनांकित 23.12.2015 के द्वारा लिखा जाकर उप पंजीयक कार्यालय श्रीमाधोपुर में पंजीबद्ध होना प्रकट होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार पर प्रार्थीया के शैक्षणिक दस्तावेजात् यथा महाविधालय का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, के. आर. पब्लिक स्कूल श्रीमाधोपुर द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र व विधालय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी सैकण्डरी स्कूल की अंकतालिका व उच्च माध्यमिक परीक्षा 2011 के प्रमाण पत्र अंकतालिका सहित, जन सम्पर्क पोर्टल–2019, परिवार राशन कार्ड, प्रार्थीया का शादी कार्ड इत्यादि के अवलोकन से भी किसी भी दस्तावेजात् में प्रार्थीया के पिता के नाम में उसके दत्तक पिता भगताराम पुत्र रामूराम का कहीं भी नाम रिकार्ड पर दर्ज होना प्रकट नहीं होता है। प्रार्थीया के समस्त दस्तावेजात् में पिता का नाम झाबर मल सामोता ही दर्ज होना प्रकट होता है। गोदनामा में प्रार्थीया को चार वर्ष की उम्र में अप्रार्थीया संख्या 1 के द्वारा गोद लिया जाना तथा वर्ष 2015 में रजिस्टर्ड गोदनामा पंजीबद्ध होना अंकित किया है। जबकि प्रार्थीया के किसी भी शैक्षणिक, पारिवारिक, सार्वजनिक दस्तावेजात् में पिता के नाम में दत्तक पिता भगताराम पुत्र रामूराम का कहीं भी नाम अंकित नहीं होना रिकार्ड से प्रमाणित होता है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी अप्रार्थीया संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रमाणित होता है। इस स्थिति में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किसी भी खातेदार काश्तकार को किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 1 के वादग्रस्त अराजी भूमियों में खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टवा मामला प्रार्थीया के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीया संख्या 1 के पक्ष में होना पाया जाता है। चूंकि प्रथम दृष्टवा मामला अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में होना [illegible] विधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थीया के [illegible] संख्या 1 के पक्ष में ही होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति [illegible] 1 को न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा से किसी भी सुरत में पावंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाए जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 30.01.2024 को खारिज किया जाकर प्रभावहीन किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible] दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में [illegible]

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:11 IST
Reason: SelfAttested